सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांकः 720 /सि0वि0वि0 कपिलवस्तु/सम्बद्धता/2019 दिनांक 20/05/2019

अनापत्ति पत्र

कृपया शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2012 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक–28.05.2019 को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी/महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है–

1	अ	संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम	**राम भरोसे पाण्डेय शिक्षण संस्थान, 7/619, विकास नगर लखनऊ**
	ब	पंजीकरण तिथि	2203/2004–2005
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	05.03.2014 से पॉच वर्ष के लिए
2	अ	महाविद्यालय का नाम	**राम भरोसे पाण्डेय महाविद्यालय, खजुरिया पोस्ट–मऊ (बांसी), सिद्धार्थनगर**
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	बी0ए0
	स	स्थायीकरण की स्थिति	स्थायी
3	अ	अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	स्नातकोत्तर स्तर
	ब	अनापत्ति की बैधता	01.07.2019 से
4	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	कला संकाय
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं हिन्दी विषयों

1. सोसाइटी द्वारा महाविद्यालय के नाम भूमि बैनामा द्वारा अन्तरित की गयी है। अतः इस अनापत्ति के अन्तर्गत विषयाधीन पाठ्यक्रमों का संचालन **राम भरोसे पाण्डेय महाविद्यालय, खजुरिया पोस्ट–मऊ (बांसी), सिद्धार्थनगर** के नाम शासनादेश सं0 23/2016/772/सत्तर–2–2016–16(116)/2015 ओ0सी0–ii दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में पूर्व संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति हेतु महाविद्यालय को पूर्व निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र सं0–3524/70–6–2004–2(319)2004, दिनॉक–31.12.2004 एवं सम्बद्धता पत्रांक सं0–5185/सत्तर–6/2009–2(319) /2004टीसी0 दिनॉक–31.12.2009 में उल्लिखित भू–अभिलेखों के आधार पर अनापत्ति दिये जाने के निर्णय के क्रम में **प्रबन्धक, राम भरोसे पाण्डेय महाविद्यालय, खजुरिया पोस्ट–मऊ (बांसी), सिद्धार्थनगर** भूखण्ड सं 1/0.343, 73/0.458हे0, 163/0.573हे0 **कुल रकबा 1.374हे0 दर्ज है।** जो आपस में सभी गाटे सटे है। **महा0 में संचालित पाठ्यक्रमो में अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जायेगी।** महा0 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। महा0 की 15 किमी0 की परिधि में 01 महाविद्यालय है। उक्त से भिन्न/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. महाविद्यालयों की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति उपलब्ध है।
3. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की वचनबद्धता रू0 100/– (रू0 एक सौ मात्र) के नानजूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सम्बद्धता हेतु पूर्वानुमति मिल जाने पर और उसके पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगें तो महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं करायी जायेंगीं।
5. उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 3075/सत्तर–2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
6. उक्त सोसाइटी/संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उत्तर प्रदेश शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
7. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी प्रकार की लाइबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
8. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन, शिक्षकों एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. शासनादेश संख्या 4070/सत्तर–2–2011–16(686)/2011 (उच्च शिक्षा अनुभाग–2) दिनांक 20.04.2012 के अनुसार महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग की चौडाई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 15 एवं 20 फिट होना अनिवार्य है। पूर्व निर्गत अनापत्ति द्वारा सम्पर्क मार्ग है।
10. शासन के पत्र सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता/कक्षा संचालन दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम –1973 की धारा 37(10) के प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
12. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय–
    1. भवन/चाहरदीवारी के निर्मित होने की स्थिति/मानचित्र की स्वीकृति।
    2. सम्पर्क मार्ग की चौडाई।
    3. सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
    4. आवेदन पत्र की प्रविष्टियो की शुद्धता।
    5. विभिन्न गाटों की संयुक्तता।
    6. बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
    7. वांछित भूमि की खतौनी को उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
    8. सोसाइटी की वैधता।
    9. शिक्षकों की नियुक्ति।
    10. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
    11. अग्निशमन व्यवस्था।
    12. यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा वह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होगें तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि संख्या व दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. अधीक्षक, सम्बद्धता वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनापत्ति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव